(163)

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

III/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/3283

1. रामगोपाल तनय गयाराम ब्रा0, उम्र– 74 वर्ष,
2. बृजमोहन प्रसाद तनय गयाराम ब्रा0 (मृतक)
   (अ) दीनबन्धु तनय बृजमोहन प्रसाद उम्र– 36 वर्ष,
   (ब) दीनदयाल तनय बृजमोहन प्रसाद उम्र– 33 वर्ष,
3. केदारनाथ उर्फ केदार प्रसाद तनय गयाराम उम्र– 54 वर्ष,
4. मुस0 महरजुआ बेवा सुमेश्वर प्रसाद उम्र– 77 वर्ष,
5. रामकृपाल तनय सुमेश्वर प्रसाद उम्र– 52 वर्ष,
6. रामलोचन तनय सुमेश्वर प्रसाद उम्र– 49 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम– पड़खुरी, नं.2 तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

------------ आवेदकगण

**बनाम**

राजबहोर शर्मा तनय स्व0 रघुनाथ राम सा0– पड़खुरी, नं.2 तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

-------------- अनावेदक

**निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 211/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक– 04.09.2015 जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक व विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है।**

---

**निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959**

---

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन/गिरानी/सीधी/भूरा/2017/3283

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18–9–17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री कुंअर सिंह कुशवाह उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 211/निगरानी/2008–2009 में पारित आदेश दिनांक 04.9.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा–32 का आवेदन प्रस्तुत किया जाकर नामांतरण पंजी कमांक 17 दिनांक 14.10.1976 की मांग कर प्रकरण में सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रकरण मान0 सिविल न्यायालय में संचालित है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया गया है कि मृतक बृजमोहन प्रसाद की पुत्रियों को बृजमोहन प्रसाद के स्थान पर संयोजित करने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन उस कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।<br>3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 211/निगरानी/2008–2009 में पारित आदेश दिनांक 04.9.15 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर कलेक्टर | |

तीन / गिरानी / सीधी / भूरा / 2017 / 3283



जिला सीधी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण करें।

सदस्य